न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ (झुन्झुनू)

पीठासीन अधिकारी :: मुरारी लाल शर्मा
आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 156/2017

रामचन्द्र पुत्र चुनाराम जाति मीणा निवासी सांगासी तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू

—वादी

बनाम

1. श्रीराम
2. मानसिंह पुत्रान भगवानाराम
3. द्रोपती पत्नी स्व0 भगवानाराम
4. महेश
5. विमलेश
6. मुकेश
7. धमेन्द्र पुत्रान जयनारायण
8. शिशपाल पुत्र चुनाराम
9. रामनारायण पुत्र सोनाराम
10. भरत पुत्र जगदेवाराम (मृतक)

10/1 संतरादेवी पत्नी भरत जाति मीणा निवासी सांगासी
10/2 विकास मीणा पुत्र भरत
10/3बेवीसिंह मीणा पुत्री भरत नाबालिग जरिये संरक्षिका माता संतरादेवी पत्नी भरत जाति मीणा निवासी सांगासी तहसील नवलगढ

11. दशरथ
12. सतपाल
13. विद्याधर पुत्रान बीरबल
14. भागचन्द पुत्र सोनाराम
15. तिलोकाराम
16. प्रकाश पुत्रान रामेश्वर
17. विद्याधर
18. रामप्रसाद पुत्रान रामकुमार
19. महावीर पुत्र गोपालराम जाति मीणा निवासीगण सांगासी तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू

—प्रतिवादीगण

वाद :— घोषणार्थ एवं दुरूस्ती रिकार्ड

वकील वादी— श्री सुरेश कुमार सीगड
वकील प्रति0 प्रा.से 18 श्री महेश कुमार वर्मा

निर्णय

निर्णय दिनांक 28.08.2019

वादी द्वारा वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि जमीन ख.न. 181 रकबा 0.95 है0 वाके ग्राम सांगासी की सरहद में स्थित है। इस जमीन में 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार वादी है जो इस जमीन के 1/2 हिस्से को काश्त करता है काबिज है लगान देता आ रहा है तथा 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार भगवानाराम के वारिसान प्रतिवादी नं. 1, 2, 3 है तथा इस जमीन के 1/2 हिस्से के प्रतिवादी नं. 1, 2, 3 काश्त करते हैं काबिज हैं लगान देते आ रहे हैं खातेदार काश्तकार हैं। जमीन ख.न. 181 के राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी नं. 4 लगायत 19 का नाम गलत रूप से दर्ज चला आ रहा

उपखण्ड अधिकारी

है, जबकि वास्तविकता यह है कि जमीन ख.न. 181 में 1/2 हिस्सा वादी का है तथा 1/2 हिस्सा प्रतिवादी नं. 1, 2, 3 वादी के भाई भगवानाराम के वारिसान का है इसी प्रकार से वादी व प्रतिवादी नं. 1, 2, 3 का कब्जा काश्त है हक हकूक है परन्तु प्रतिवादी नं. 4 लगायत 19 का नाम वादी व प्रतिादी नं. 1, 2, 3 के हिस्से की जमीन ख..न. 181 के राजस्व रिकार्ड में गलत चला आ रहा है जिसे दुरूस्ती करवाने हेतु वादी ने यह घोषणा का दावा पेश किया है।वादी और प्रतिवादीगण के बीच किसी तरह का विवाद नही है महज राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी नं. 4 लगायत 19 का नाम गलत रूप से दर्ज हो जाने के कारण वादी अपने राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त करवाने के लिये यह घोषणा का दावा पेश कर रहा है।

जमीन ख.न. 181 वादी नं. 1, 2, 3 की पैत्रिक मीन है जिसमे 1/2 हिस्सा वादी का है व 1/2 प्रतिवादी नं. 1 लगायत 3 का है वादी के अन्य दो भाई शिशपाल और जयनारायण के हिस्से मे दुसरी जमीन आ गई है। इस कारण से ख.न. 181 की जमीन में वादी व प्रतिवादी नं.1 लगायत 3 का ही हिस्सा रहा है तथा वादी के भाई शिशपाल और जयनारायण के हिस्से में दूसरी जमीन आई है। अन्य प्रतिवादीगण का ख.न. 181 की जमीन से कोई लेना देना नही है परन्तु राजस्व रिकार्ड में गलती से नाम दर्ज होने के कारण प्रतिवादी नं. 4 लगायत 19 का नाम हटाया जाना आवश्यक है। अतः वाद पेश कर निवेदन है कि दावा डिक्री फरमाया जावे घोषणा यह की जावे कि वादी जमीन ख.न. 181 रकबा 0.95 है0 ग्राम सांगासी के 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार है एवं शेष 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार प्रतिवादी नं. 1 लगायत 3 है, इस कदर घोषणा के मुताबिक राजस्व रिकार्ड में खातेदारी का अंकन करवाया जावे तथा प्रतिवादी नं. 4 लगायत 19 का नाम राजसव रिकार्ड से हटाया जावे।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज पंजिका किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण की गई। प्रतिवादी नं. 10 व 19 की और से इकबालिया जबाब दावा पेश किया गया तथा प्रतिवादी नं. 10/1 से 10/3 की और से वकील श्री महेश कुमार वर्मा का वकालतनामा व इकबालिया जबाब दावा पेश हुआ। शेष प्रतिवादीगण बावजूद नोटिस तामील के उपस्थित नही होने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई तथा शहादत वादी ली गई।

वरवक्त बहस अंतिम प्रतिवादी नं. 9, 11 लगायत 18 की और से वकील श्री महेश कुमार नारनोलिया का वकालतनामा पेश किया गया तथा वाद वादी स्वीकार करने मे सहमति जाहिर की गई। अतः पत्रावली का अवलोकन किया गया। नकल जमाबंदी ग्राम माण्डासी संवत 2066 से 2069 के अनुसार भूमि ख.न. 181 रकबा 0.95 है0 की खातेदारी तिलोकाराम पि0 रामेश्वर जाति मीणा सा.देह खातेदार राहिन एसबीबीजे शाखा मुकुन्दगढ मूर्तहीन दर्ज रिकार्ड है। जिसके आगे नोट अंकित किया गया कि नामा0सं0 3089 नि.दि. 07.07.14 के अनुसार उपखण्ड अधिकारी के निर्णय के अनुसार द्रोपदी पत्नी भगवानाराम मानसिंह श्रीराम पुत्रान भगवानाराम महेश विकलेश मुकेश धमेन्द्र पुत्रान जयनारायण शिशपाल रामचन्द्र पुत्रान चुनाराम हि0 1/3 रामनारायण पुत्र सोनाराम भरत पुत्र जगदेवाराम दशरथ पुत्र बीरबल सतपाल विद्याधर पुत्र बनवारी भागचन्द पुत्र सोनाराम हि0 1/3 तिलोकाराम प्रकाश पुत्रान रामेश्वर विद्याधर रामप्रसाद पुत्रान रामकुमार महाबीर पुत्र गोपालराम हि0 1/3 जाति मीणा सा.देह खातेदार राहिन तिलोकाराम का हि0 एसबीबीजे मुकुन्दगढ दर्ज रिकार्ड है।

उक्त संबंध में प्रतिवादी नं. 10 व 19 द्वारा इकाबालिया जबाब दावा पेश किया गया तथा शेष प्रतिवादीगण नं. 9, 11 लगायत 18 की और से वाद वादी डिक्री करने में सहमति जाहिर की गई जिनका नाम वादी द्वारा नाम हजफ करने की इश्तदुआ पेश की गई। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

वाद वादी स्वीकार किया जाता है। ग्राम माण्डासी की भूमि ख.न. 181 रकबा 0.95 है0 का वादी को 1/2 हिस्से का तथा प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 3 को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादीगण नं. 4 लगायत 19 का नाम हजफ किया जाता है। तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक घोषित खातेदारी का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 28.08.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुरारी लाल शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी नवलगढ मुकाम बईजलास नवलगढ
मुरारी लाल शर्मा (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ.

वाद :– घोषणार्थ एवं दुरूस्ती रिकार्ड

मुकदमा सं0:–156/2017 **(रामचन्द बनाम श्रीराम आदि)**

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू मुरारी लाल शर्मा (आर0ए0एस0), उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ बहाजिरी..वकील वादी मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 28.08.2019 निर्णय अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाता है। ग्राम माण्डासी की भूमि ख.न. 181 रकबा 0.95 है0 का वादी को 1/2 हिस्से का तथा प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 3 को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादीगण नं. 4 लगायत 19 का नाम हजफ किया जाता है। तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक घोषित खातेदारी का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

जिन...........–.................... मुबलिग...........–............बाबत......–.................खर्चा इस मुकदमे मे मय सूद बशरह...............................फीसदी सालना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....–.............का अदा करें।

बसक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख. 28 माह 08 सन..2019. को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी नवलगढ
मोहर

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
.स्टाम्प अर्जी दावा	02.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	02.00	स्टाम्प वकालतनामा	3.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	21.00	मुतफरिक मिजान	0.00